वित्त अनुभाग–6

उत्तराखण्ड शासन

संख्या– /XXVII(6)/2015

देहरादूनः दिनॉकः 28 फरवरी, 2015

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 07/XXVII(6)/2015, दिनांक 02.01.2015 द्वारा उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के पदों के पुनर्गठन के फलस्वरूप राज्यपाल महोदय निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें एवं निदेशालय लेखा एवं हकदारी के कर्तव्य एवं दायित्वों को पुनर्गठित करते हुए क्रमशः निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून तथा निदेशालय विभागीय लेखा, करते हुये उक्त निदेशालयों के मध्य निम्नवत् कार्य विभाजन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड

(क) निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी से निदेशालय लेखा एवं हकदारी के (सहायक लेखाधिकारी अधिष्ठान एवं वित्तीय परामर्शदाता कार्यालय के कार्यों को छोड़कर) समस्त कार्य/दायित्व तात्कालिक प्रभाव से व्यवहरित किये जायेंगे एवं निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें के रूप में पहले से व्यवहरित किये जा रहे समस्त कार्य/दायित्व यथावत् रहेंगे।

(ख) राज्य सरकार के समूह "ग" एवं "घ" श्रेणी के समस्त सरकारी सेवकों (यूपीसीएल, यूजविनिल, पिटकुल एवं परिवहन के कार्मिकों को छोड़कर) के पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत करने का कार्य/दायित्व राज्य के 13 जनपदीय कोषागारों को जनपदवार हस्तान्तरित किया जाता है। प्रदेश के गढ़वाल मण्डल परिक्षेत्र के श्रेणी "क", "ख" एवं यूपीसीएल, यूजविनिल, पिटकुल एवं परिवहन के समस्त सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन प्राधिकार पत्र निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, देहरादून से तथा कुमायूँ मण्डल परिक्षेत्र से श्रेणी "क" एवं "ख" के समस्त सेवानिवृत्त/मृत्यु के फलस्वरूप पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राधिकार पत्र निदेशालय, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी के शिविर कार्यालय हल्द्वानी से निर्गत किये जायेंगे।

(ग) निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें के रूप में घोषित नियुक्ति प्राधिकारी, विभागाध्यक्ष, बजट नियंत्रक, कोषागारों के नियंत्रक अधिकारी का दायित्व अब निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी में निहित किया जाता है।

(घ) निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवाएं एवं अधीनस्थ कोषागारों का संगठनात्मक ढांचा निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी में तद्नुसार यथावत् रहेगा। निदेशालय लेखा एवं हकदारी के संगठनात्मक ढ़ांचे में नयी पेंशन योजना के कार्य के लिये सृजित सभी पद एवं पदधारक कार्य के साथ–साथ निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी में समाहित होंगे।

(ड) निदेशालय लेखा एवं हकदारी का नाम परिवर्तित करते हुये यहां के जो कार्य एवं दायित्व निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी में हस्तान्तरित हुये हैं, उनसे सम्बन्धित समस्त पत्रावलियां, अभिलेख, डिजिटल डाटा, साफ्टवेयर एवं अन्य संगत अभिलेख दिनांक 15 मार्च, 2015 तक सम्बन्धित कोषागारों एवं निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी को हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। दिनांक 28 फरवरी, 2015 तक लम्बित पेंशन प्रकरण इस कार्य को पहले से व्यवहरित कर रहे कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा दिनांक 31.03.2015 तक निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा सम्बन्धित कार्मिक कार्य के आधार पर उक्त तिथि तक निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी के नियंत्रणाधीन रहेंगे।

(च) दिनांक 31.03.2015 को तथा इसके बाद सेवानिवृत्त कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन सम्बन्धित कार्य नवीन व्यवस्था के अधीन निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी एवं जनपदीय

कोषागार में तैनात कार्मिकों के द्वारा व्यवहरित किया जायेगा। इसके लिये निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी समस्त औपचारिकताओं को अपने स्तर से पूर्ण करेंगे।

निदेशक, विभागीय लेखा उत्तराखण्ड

(क) निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड को प्रदेश के समस्त विभागों में सृजित सहायक लेखाधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता कार्यालय के समस्त पदधारकों को नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष घोषित किया जाता है।

(ख) निदेशक, विभागीय लेखा उपरोक्त उप प्रस्तर 3(क) में वर्णित पदधारकों एवं वित्तीय परामर्शदाता कार्यालयों के लिये बजट नियंत्रक अधिकारी होंगे।

(ग) निदेशालय लेखा एवं हकदारी जिसका नाम परिवर्तित करके निदेशालय विभागीय लेखा किया गया है, के संगठनात्मक ढ़ांचे में सृजित पद एवं पदधारक (नयी पेंशन योजना को छोड़कर) स्वतः ही निदेशालय विभागीय लेखा के अंग होंगे तथा विभिन्न विभागों में सृजित सहायक लेखाधिकारी के समस्त पद निदेशालय विभागीय लेखा के ढ़ांचे में समाहित होंगे। निदेशक, विभागीय लेखा निदेशालय के कार्यों की आवश्यकतानुसार निदेशालय के संरचनात्मक ढ़ांचे का पुनर्निधारण सुनिश्चित करेंगे।

(घ) निदेशालय लेखा एवं हकदारी के लिये आवंटित भवन, क्रय की गयी गाड़ियों, फर्नीचर, कम्प्यूटर आदि निदेशालय विभागीय क्रय की गयी गाडियों, फर्नीचर, कम्प्यूटर आदि निदेशालय विभागीय लेखा के प्रयोगार्थ यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव

संख्या 73 (1)/XXVII(6)/2015, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा देहरादून।
3– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड।
4– निदेशक लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
5– निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
6–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
अपर सचिव